

प्रेमक,

मनीषा त्रिघाटिया  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-महानिदेशक स्कूल शिक्षा  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2-शिक्षा निदेशक (बेसिक)  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 17 जनवरी, 2020

विषय: उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों के अध्यापकों के अर्न्तजनपदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2024/68-5-2019-810/2017 टी0सी0 दिनांक 02.12.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों के अध्यापकों के वर्ष 2019-20 हेतु अर्न्तजनपदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में आदेश निर्गमित किये गये हैं। शासनादेश में अर्न्तजनपदीय स्थानान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि 20.01.2020 निर्धारित की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारपरान्त शासन द्वारा अर्न्तजनपदीय स्थानान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि 28.01.2020 तक विस्तारित कि जाने का निर्णय लिया गया है। शासनादेश के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से अनुपालन किया जाये।

भवदीया,

(मनीषा त्रिघाटिया)  
सचिव।

प्र0सं0 व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
- 2-महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
- 3-शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4-निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5-सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज।
- 6- वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा निदेशालय / बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
- 7- समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक / समस्त प्राचार्य, डायट, उत्तर प्रदेश।
- 8-समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
(उमेश कुमार तिवारी)  
उप सचिव।